नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

मिसल संख्या :– 230 / 2022 निर्णय दिनांक :– 14.06.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

कानी देवी पत्नि मेहन्दिया जाति सांसी उम्र बालिग निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थी पक्ष–

उपस्थित :–

श्री धर्मराज गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
देवली

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी **खाता संख्या 14 ख0नं0 496 रकबा 0.59 है0 बारानी प्रथम** वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद नही है।

अतः जमाबंदी सम्वत् **2072–2075** में दर्ज आराजी **खाता संख्या 14 ख0नं0 496 रकबा 0.59 है0 बारानी प्रथम** वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली